भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3868

04 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : किसानों की आत्महत्या के पहचाने गए कारण

3868 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में किसानों द्वारा आत्महत्या की कुल कितनी घटनाएं दर्ज की गई हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऋणग्रस्तता, फसल विफलता, जल की कमी और अन्य कृषि संकट कारकों सहित इन आत्महत्याओं के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) कृषि संकट से अधिकतम प्रभावित जिलों का ब्यौरा क्या है और ऐसे वर्गीकरण के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) किसान संकट को दूर करने के लिए वित्तीय राहत, ऋण माफी, फसल बीमा कवरेज और अन्य अंतःक्षेपों सहित क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं, और इन पहलों के लिए कितनी धनराशि आवंटित और प्रयुक्त की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में दुर्घटना से हुई मौतें और आत्महत्याएं' (एडीएसआई) में आत्महत्याओं पर जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है। एडीएसआई रिपोर्ट में किसानों की आत्महत्या के अलग-अलग कारण नहीं बताए गए हैं।

कृषि राज्य विषय है, अतः राज्य सरकारें राहत प्रदान करती हैं। तथापि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता देकर किसानों के कल्याण करना है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपये कर दिया है। कृषि क्षेत्र में किसानों की समग्र आय और लाभकारी रिटर्न बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख स्कीमों/कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)

4. संशोधित ब्याज छूट स्कीम (एमआईएसएस)
5. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन
